बी 14 फारम संख्या 562

कार्यालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर- सरिया, गिरिडीह

आदेश पत्रक

मधुरा प्र० वर्मा व०अ०
..........................प्रथम पक्ष

पक्ष बनाम

विजय प्र० राउ व०अ०
..........................द्वितीय पक्ष

देखे अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129

आदेश पत्रक ता० ....से ....तक

जिला गिरिडीह।

विविध वाद संख्या ....115..........सन् 2022

धारा 144 द०प्र०सं०

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
30/09/22	अभिलेख उपस्थापित। आवेदक/आवेदिका द्वारा समर्पित किया गया याचिका के अवलोकन के बाद मैं संतुष्ट हूँ कि भूमि विवाद को लेकर उभय पक्षों में शांति भंग होने की आशंका है एवं उभय पक्ष टकराव के लिए तत्पर हैं। इस बात से मैं संतुष्ट हूँ कि इस मामले में टकराव को दूर करने तथा ईलाके में शांति बनाये रखने के लिए निरोधात्मक कार्रवाई आवश्यक है। इन तथ्यों के आलोक में उभय पक्षों के विरुद्ध धारा 144 द०प्र०सं० के अंतर्गत कार्रवाई प्रारंभ किया जाता है तथा उभय पक्षों को 60 दिनों के लिए विवादग्रस्त भूमि मौजा-झांझ, थाना-बिरनी, अंतर्गत 1. खाता नं0-17, प्लॉट नं0-883, रकवा-16 डी0, चौहद्दीः उ0-पहाडी, द0-बाबुलाल राय, पू0-सरजू राय, प0-बोधी महतो। 2. खाता नं0-17, प्लॉट नं0-883, रकवा-12 डी0, चौहद्दीः उ0-बाबुलाल राय, द0-सड़क, पू0-सरू महतो, प0-बोधी महतो। 3. खाता नं0-17, प्लॉट नं0-883, रकवा-48 डी0 वो 12 डी0, जिसकी चौहद्दीः उ0-पहाडी, द0-बाबुलाल राय, पू0-दुपलाल महतो, प0-डबरी। 4. खाता नं0-17, प्लॉट नं0-883, रकवा-22 डी0, उ0-बाबुलाल, द0-सड़क, पू0-डबरी मौजा, पं0-सरजू महतो। 5. खाता नं0-17, पलॉट नं0-883, रकवा-24 डी0, चौहद्दीः उ0-बाबुलाल राय, द0-सड़क, पू0-दुपलाल महतो, प0-दुपलाल महतो। 6. खाता नं0-17, प्लॉट नं0-883, रकवा-28 डी0, चौहद्दीः उ0-बाबुलाल राय, द0-सड़क, पू0-बोधी महतो, प0-तेजनारायण महतो। 7. खाता नं0-17, प्लॉट नं0-883, रकवा-15 डी0, चौहद्दीः उ0-परती कदीम, द0-सड़क, पू0-लोकन महतो, प0-सीमा नवादा के भूमि पर या उसके नजदीक जाने अथवा किसी भी तरह का कार्य करने के लिए प्रतिबंधित किया जाता है तथा रोका जाता है। साथ ही उभय पक्षों से दिनांक....6/7/22.....को कारण पृच्छा की मांग की जाती है कि क्यों नहीं एक या दोनों पक्षो के विरुद्ध निरोधात्मक आदेश को सम्पुष्ट किया जाय। लेखापित एवं संशोधित। अनुमण्डल दण्डाधिकारी बगोदर-सरिया अनुमण्डल दण्डाधिकारी बगोदर-सरिया	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
6.10.22	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष वकालतन हाजिर। द्वितीय पक्ष उफर्ण अभिलेख दिनांक 20.10.22 को रखें	
20/10/22	प्रथम पक्ष वकालतन हाजिर। अभिलेख, दिनांक 3.11.22 को रखें	
3.11.22	प्रथम पक्ष वकालतन हाजिर। द्वितीय पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जवाब दाखिल। अभिलेख दिनांक 17.11.22 को रखें।	
17/11/22	प्रथम पक्ष उफर्ण To 28/11/22	
28/11/22	प्रथम पक्ष उफर्ण। द्वितीय पक्ष वकालतन हाजिर। प्रथम पक्ष की ओर से जवाब दाखिल एवं बहस की सुनी। प्रस्तावना बाद प्रथम पक्ष के आवेदन के आलोक में प्रारम्भ किया गया। प्रथम पक्ष के अनुसार प्रस्तावित भूमि प्रथम पक्ष के पूर्वजों के नाम बिहार भूदान यज्ञ	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	समिति के पर्चा के माध्यम से प्राप्त है। प्रश्नगत भूमि पुनः भूदान पर्चा के माध्यम से पुनः अलग-अलग रैयतों को प्राप्त है। रैयत दुखलाल महतो वल्द० को कुल 28 डी., रैयत सरजू महतो वल्द० को 12 डी., रैयत गुरुचरण महतो वल्द० को 22 डी., रैयत बोधी महतो वल्द० को 64 डी., रैयत लोकन महतो वल्द० को 28 डी. एवं तेजनारायण महतो को 15 डी. भूमि हासिल है। उक्त भूमि की जमाबंदी अंचल कार्यालय में कायम है तथा राजस्व रसीद निर्गत हो रही है। अंचल कार्यालय बिरनी में वर्ष 1998-99 में मापी वाद सं०-02/98-99 के तहत किया गया था तथा मापी के आधार पर द्वितीय पक्ष अपनी जमीन पर काबिज है। वर्तमान में द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष की जमीन पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं। प्रथम पक्ष के द्वारा अपने दावे के समर्थन में राजस्व रसीद सं०- 0541216990,	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

0593672601, 5969421 026929 0571110, ऑनलाइन पंजी-II की प्रति, फार्म-10 की सत्यापित प्रति की छाया प्रति, पंजी-II की छाया प्रति, भूदान पर्चा सं०- 40141 की छाया प्रति, लगान रसीद सं०- 0385411344 की छाया प्रति, भूदान पर्चा सं०- 40142 की छाया प्रति, लगान रसीद सं०- 0946556037 की छाया प्रति भूदान पर्चा सं०- 40136 की छाया प्रति, लगान रसीद सं०- 5973136 की छाया प्रति लगान रसीद सं०- 898748 की छाया प्रति, लगान रसीद सं०- 898742 की छाया प्रति भूदान पर्चा सं०- 40137 की छाया प्रति, नामांतरण शुद्धि पत्र की छाया प्रति, भूदान पर्चा सं० 40143 की छाया प्रति दाखिल किया गया।

द्वितीय पक्ष के द्वारा लिखित कारण पृच्छा एवं उनकी दस्तावेज दाखिल किया गया।

द्वितीय पक्ष के अनुसार प्रश्नगत भूमि उनके पूर्वजों को महाराजा महेश्वरी प्रसाद नारायण देव भूतपूर्व जमींदार से बजरिये हुकुमनामा वर्ष

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	1936-37 को प्राप्त है / उक्त हुक्मनामा के पश्चात द्वितीय पक्ष के पूर्वज उक्त भूमि पर दखलकार रहे हैं / जमींदारी उन्मूलन के पश्चात सरकारी लगान रसीद निर्गत हो रहा है / द्वितीय पक्ष का आगे कहना है कि प्रथम पक्ष के द्वारा फर्जी भूदान पर्चा आधार पर दाखिल किया गया है / प्रथम पक्ष के द्वारा दाखिल पंजी-II की प्रति में भूदान पर्चा सं०- 40111 दिनांक 31.10.1971 दर्ज है जबकि दाखिल पर्चा सं०- 40111 में 21.02.1979 अंकित है/. साथ ही भूदान पर्चा सरजु महतो को 60 डी. भूमि के लिये प्राप्त है, परन्तु लगान रसीद 1.30 एकड़ भूमि का है / प्रथम पक्ष के द्वारा दाखिल शुद्धि पत्र के अनुसार माल निर्धारण वाद सं० 29/2004-2005 के द्वारा लगान निर्धारण किया गया है जबकि लगान रसीद वर्ष 1979-80 से निर्गत है, जो संभव नहीं है / दाखिल पर्चा राजस्व पदाधिकारी द्वारा सम्पुष्ट नहीं है /. वर्तमान में प्रश्नगत भूमि पर द्वितीय पक्ष का दखल-कब्जा है तथा वो पक्कीनुमा मकान	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	बना हुआ है। इसी भूमि पर द्वितीय पक्ष के द्वारा 40 वर्ष पूर्व तालाब का निर्माण किया गया था। गांव में निर्मित सार्वजनिक पानी टंकी हेतु इसी भूमि से एक भाग लिखित रूप से दान दिया गया। उक्त जमीन निबंधन पर्ची प्रथम पक्ष के द्वारा प्रस्तुत किया गया है उसमें दाता का नाम ईश्वरी प्रसाद दर्ज है जबकि वास्तविक रूप में महेश्वरी नारायण प्रसाद सिंह देव जमीन के देखभाल के लिये अधिकृत थे। उक्त तथ्यों के आलोक में प्रथम पक्ष के आवेदन को खारिज करते हुये निषेधाज्ञा को उनके विरुद्ध निरपेक्ष घोषित किया जाये। उभय पक्षों के द्वारा दाखिल कारण पृच्छा एवं दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है (i) कि प्रश्नगत भूमि गैरमजरूआ खास खाते की है। (ii) कि राजस्व पदाधिकारी द्वारा भूदान सम्पुष्टि का आदेश प्रथम पक्ष के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है।	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	(iii) चूँकि प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ खास खाते की है अतः 'बिहार भूदान यज्ञ अधिनियम की धारा-12 एवं तत्सम्बन्धी नियमावली के नियम 6A के अनुसार फार्म-VI में लिखित जमींदारी मुआवजा नहीं लेने के सम्बन्ध में लिखित घोषणा दाखिल करना आवश्यक होता है। प्रथम पक्ष के द्वारा इस सम्बन्ध में कोई दस्तावेज/साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया। (iv) प्रथम पक्ष के द्वारा दाखिल पर्चा 40137 से सम्बन्धित नामांतरण एवं मान निर्धारण सम्बन्धी शुद्धि पत्र के अनुसार अंचल अधिकारी, बिरनी द्वारा यह कार्य किया गया है, जबकि भूदान यज्ञ अधिनियम, 1954 के प्रावधानों तथा बिहार सरकार, राजस्व विभाग के पत्रांक EVIL-2010/55-6502-LR, दिनांक 15 नवम्बर 1955 के अनुसार प्रावधानित है कि "2. Under Section 10, 11, 13, 15 and 18 necessary action for Confirmation etc. of the Danpatras and division of holdings etc. are required to be taken by a	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

Revenue Officer. In accordance with clause (f) of section 2, a 'Revenue Officer' means a Collector, the Additional Collector, the Subdivisional Officer, the Additional Sub-divisional Officer or any Deputy Collector appointed by the State Government to discharge all or any of the functions of a Revenue Officer. Steps are being taken to vest the powers of a "Revenue Officer" in the Deputy Collectors posted in the Subdivisions for doing land reforms work."

इस वाद से सम्बन्धित भूदान सम्बन्धित दस्तावेजों में उक्त प्रक्रिया का अनुपालन नहीं हुआ है, जो दाखिल दस्तावेज को संदेहास्पद बनाता है।

उक्त विवेचन के आलोक में नियमन को प्रथम पक्ष के विरुद्ध निर्देशित [illegible] के पक्ष में पारित करता हूँ।

यह आदेश द.प्र.स. की धारा-144(4) द्वारा प्रभावित होगा। वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

[illegible]

Digitally signed by KUNDAN KUMAR
Date: 2022.12.05 14:42:33 +05:30
Location: 192.168.1.9